अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 568 मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई, दिनांक : 22/06/2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय :– अवैध रूप से चल रहे विद्युत संयोजनों के नियमितीकरण हेतु 'कटिया हटाओ संयोजन पाओ' योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश में सभी वितरण निगमों के अन्तर्गत नागरिकों को नियमित विद्युत संयोजन निर्गत कर विद्युत प्रणाली से जोड़े जाने एवं सकल वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों को कम किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक नागरिकों द्वारा स्वघोषणा किये जाने पर **"कटिया हटाओं संयोजन पाओ"** योजना निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार सभी विद्युत वितरण निगम द्वारा लागू करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत यह सुविधा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू संयोजनों हेतु केवल 01 कि0वा0 भार तक ही अनुमन्य होगी।
2. संयोजन परिसर समीपवर्ती एल0टी0 लाइन से 40 मीटर की दूरी से अधिक न हो।
3. शहरी क्षेत्रों में संयोजन देने हेतु वर्तमान में प्रचलित स्वीकार्य पहचान पत्र एवं भूस्वामित्व/किरायेदार एवं आवासीय पता का विवरण/अभिलेख आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजन देने का आधार पूर्व में प्रचलित सौभाग्य योजना के अनुरूप होगा।
4. झुग्गी झोपड़ियों में कनेक्शन केवल प्री–पेड मीटर लगाकर नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।
5. संयोजन परिसर में पूर्व में रहे किसी संयोजन से सम्बन्धी कोई बकाया शेष न हो।
6. स्व–घोषित अनधिकृत विद्युत उपभोग पर नियमित संयोजन निर्गमन की प्रक्रिया इस शर्त पर की जायेगी कि आवेदक द्वारा नियमित संयोजन प्राप्त करने हेतु नये संयोजन का निर्धारित शुल्क योजना अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा कर दिया गया हो, अन्यथा योजना समाप्ति तक संयोजन शुल्क न प्राप्त होने की स्थिति में योजना अवधि के पश्चात आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
7. आवेदन के साथ नये संयोजन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर संयोजन निर्गत कर दिया जाय।
8. उपभोक्ता सेवा केन्द्र (1912) पर प्राप्त हुए आवेदन भी इस योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य होंगे।
9. ऐसे परिसर जिनसे सम्बन्धित कोई न्यायालय वाद लम्बित हो, उक्त योजना के आच्छादित नहीं होंगे।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 568 / मु0अ0(वा0–2) / रेड इकाई / तददिनांक : 22/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक